(आदेश की प्रतिलिपि)
न्यायालय–अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रायपुर (छत्तीसगढ़)
(पीठासीन न्यायाधीश–आनंद प्रकाश दीक्षित)

जमानत याचिका क. 2376/19

आवेदक/अभियुक्त	**जुगनू महानंद** उम्र–31 वर्ष, पिता– भोजो महानंद, पता–संजय गांधी नगर गुढ़ियारी रायपुर तह. व जिला–रायपुर (छ.ग.)

विरूद्ध

अभियोजन	**छत्तीसगढ़ राज्य**
आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 द.प्र.सं. मे पारित आदेश	

आरक्षी केन्द्र	**खमतराई जिला–रायपुर (छ0ग0)**
अपराध कमांक	**512/2019**
अंतर्गत धारा	**379,34 भा.दं.सं.**
जमानत आदेश दिनांक	**28.09.2019**

पश्चात् (28.09.2019)

माननीय सत्र न्यायाधीश रायपुर के न्यायालय से जमानत याचिका कमांक–**2376/19** (आरक्षी केन्द्र खमतराई के **अपराध कमांक 512/2019, धारा–379,34 भा.दं.सं.** की केस डायरी प्रतिवेदन सहित) विधिवत् निराकरण हेतु इस न्यायालय को अंतरण पर प्राप्त।

आवेदक/अभियुक्त **जुगनू महानंद** की ओर से **श्री सुल्तान अहमद अधिवक्ता** उपस्थित।

अनावेदक/राज्य की ओर से **श्री विजय लांजे, अतिरिक्त लोक अभियोजक** उपस्थित।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र में यह उल्लेखित है कि उसे आरक्षी केन्द्र खमतराई द्वारा अपराध

कमांक–512/2019 अंतर्गत धारा–379, 34 भा.दं.सं. के अपराध में दिनांक–21.09.2019 को गिरफ्तार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहॉ से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया , आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत याचिका निम्न न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका है, आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है, उसे झूठा फसाया गया है, आवेदक/अभियुक्त अपने परिवार का एक मात्र कमाने वाला सदस्य है, उसके जेल में निरूद्ध होने से परिवार को घोर आर्थिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है, आवेदक/अभियुक्त रायपुर जिले का स्थाई निवासी है, उसके फरार होने की कोई सम्भावना नही है, आवेदक/अभियुक्त की ओर से उसकी पत्नि सुशीला महानंद ने आवेदन के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए यह बताया है कि वर्तमान जमानत आवेदन माननीय सत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत **प्रथम जमानत आवेदन है**, इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत आवेदन पत्र माननीय सत्र न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के समक्ष ना तो लंबित है तथा ना ही निराकृत हुआ है, आवेदक/अभियुक्त की ओर से उसे जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया गया ।

श्री विजय लांजे अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध करते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

केस डायरी एवं आवेदन पत्र का अवलोकन किया गया।

आवेदन पत्र पर सुना गया।

केस डायरी के अवलोकन से परिलक्षित है कि **आरक्षी केन्द्र खमतराई** द्वारा प्रार्थी विनय जैन की शिकायत के आधार पर 3 कट्टा चना दाल कीमती 6,300/–रूपये की चोरी के संबंध में आवेदक/अभियुक्त एवं अन्य के विरूद्ध **अपराध कमांक–512/2019**

अंतर्गत **धारा– 379 सहपठित धारा– 34 भा.दं.सं.** के अपराध में मामला पंजीबद्ध कर विवेचना के दौरान आवेदक/अभियुक्त को उक्त धारा के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, केस डायरी के अनुसार आवेदक/अभियुक्त द्वारा सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर वाहन महिन्द्रा पीकप क्रमांक– सी.जी. 04 जे.सी. 3676 में 50 कट्टा चना दाल लोड करने का ऑडर मिलने पर उमिया मार्केट जाकर वाहन में 53 कट्टा चना दाल को लोड करके स्काई गैरेज भैंसथान जाकर 50 कट्टा चना दाल को खाली करके 2 कट्टा को वापस लाकर भनपुरी प्रेम किराना स्टोर्स में बेचने तथा 1 कट्टा चना दाल को वापस मिल में देने का तथ्य उल्लेखित है, केस डायरी के अनुसार आवेदक/अभियुक्त द्वारा सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर 3 कट्टा चना दाल कीमती 6,300/– रूपये को चोरी करने का अभियोग है, विवेचना के दौरान आवेदक/अभियुक्त से पूछताछ कर उसका मेमोरेण्डम कथन लेखबद्ध किये जाने तथा चोरीशुदा चना दाल को बेचने से प्राप्त राशि की जप्ती कार्यवाही किये जाने का तथ्य केस डायरी में उल्लेखित है।

आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध आजीवन कारावास अथवा मृत्युदण्ड से दण्डनीय नहीं है, न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा विचारण योग्य मामला है, आवेदक/अभियुक्त को दिनांक– 21.09.2019 से न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध रहना बताया गया है, मामला वर्तमान में विवेचना स्तर पर है, ऐसे में मामले के अंतिम निराकरण में विलंब की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता, आवेदक/अभियुक्त के पूर्व आपराधिक रिकार्ड के संबंध में इस स्तर पर केस डायरी में कोई दस्तावेज संलग्न नही है, इस न्यायालय द्वरा जमानत याचिका क्रमांक–2353/2019 आदेश दिनांक– 26.09.2019 के माध्यम से इस मामले के सह–अभियुक्त आशीष होरो की ओर से प्रस्तुत जमानत

याचिका पूर्व में स्वीकार की जा चुकी है, आवेदक/अभियुक्त का मामला पूर्व में जमानत पर रिहा हुए अभियुक्त के समरूप होना दर्शित है।

ऐसे में उपरोक्त सभी तथ्यों, अपराध की प्रकृति, प्रकरण की परिस्थितियों, आवेदक/अभियुक्त की न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध रहने की अवधि तथा मामले के विवेचना स्तर पर होने से मामले के अंतिम निराकरण में विलंब की संभावना के तथ्य को ध्यान में रखते हुए आवेदक/अभियुक्त **जुगनू महानंद** की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत **धारा–439 दं.प्र.सं.** विचार पश्चात् न्यायहित में **स्वीकार** करते हुए यह आदेशित किया जाता है कि यदि आवेदक/अभियुक्त द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की संतुष्टि योग्य **10,000/– रूपये (अक्षरी–दस हजार रूपये)** की सक्षम/नगद जमानत तथा समतुल्य राशि का स्वयं का बंध पत्र निम्नलिखित **शर्तो के अधीन** निष्पादित किया जाता है तो उसे जमानत पर रिहा किया जावेः–

1– आवेदक/अभियुक्त विवेचना एवं विचारण में पूरी तरह सहयोग प्रदान करेगा।

2– आवेदक/अभियुक्त अभियोजन साक्षीगण को किसी भी प्रकार से प्रभावित अथवा प्रलोभित करने का प्रयास नहीं करेगा।

3– आवेदक/अभियुक्त भविष्य में इस प्रकृति के अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा।

उपरोक्त शर्तो के उल्लंघन की दशा में आवेदक/अभियुक्त को दी गयी जमानत की सुविधा स्वयंमेव निरस्त होना समझा जावेगा।

आदेश की एक प्रति माननीय सत्र न्यायाधीश, रायपुर की ओर अवलोकनार्थ प्रेषित की जावे।

आदेश की एक प्रतिलिपि संबंधित न्यायालय को पालनार्थ भेजी जावे।

आदेश की एक प्रतिलिपि केस डायरी के साथ संलग्न कर केस डायरी संबंधित आरक्षी केन्द्र को वापस भेजी जावे।

जमानत का यह प्रकरण समाप्त।

परिणाम अंकित कर प्रकरण समयावधि मे अभिलेखागार भेजा जावे।

सही /–
(आनंद प्रकाश दीक्षित)
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
रायपुर (छ.ग.)

प्रमाण–पत्र
मैं पुष्टि करता हूॅ कि इस पी.डी.एफ. फाईल की अन्तर्वस्तु अक्षरशः वैसी ही है, जो मूल आदेश में टंकित की गई है।
साक्ष्य लेखक–रंजीत कुमार रामटेके